# स्पाइसेस बोर्ड

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

## भारत सरकार

## कोचिन

एम के टी-आई आई पी एम/एस ई ई एफ/0001/2013-विपणन दि:7.2.2017

# निविदा सूचना

भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान (आई आई पी एम),ज्ञानभारती कैंपस, पी.ओ.मालतहल्ली, बैंगलोर-560 056 की मसाला निर्यातक उद्यमी सुविधा में मिनी पलवराइज़र की आपूर्ति एवं स्थापना केलिए विनिर्माता-आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

**पलवराइज़र की अपेक्षा एवं विनिर्देश नीचे दिए जाते हैं:**

अपेक्षा: मिर्च, धनिया, काली कालीमिर्च, हल्दी जैसे मसालों के पेषण केलिए एक मिनी पलवराइज़र

मिल तकनोलजी : मजबूत सामग्री से बने बीटर्स/हैमर्स

मेक : एस एस, मोटर :1-2 एच पी, प्रति घंटा क्षमता : प्रति घंटा 10-25 किलोग्राम

पलवराइज़र का आर पी एम : 4500 - 9000, ऊपर से मैनुअल फीडिंग, सूक्ष्मता : 100 से 300 मेश तक

आकार: कॉम्पैक्ट साइज़, नींव नहीं अपेक्षित, सुकर व धूल रहित संचलन

निविदा में पलवराइज़र की लागत और परिवहन चार्ज, बीमा और स्थापना चार्ज लागत का ब्रेक-अप सहित, बिक्री-कर/वैट जैसे लागू हो, शामिल होंगे। वैकल्पिक तौर पर पलवराइज़र के विभिन्न मॉडल कोट किए जा सकते हैं।

**निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे :**

क) विस्तृत विनिर्देश : क्षमता, मेक, ब्रैंड, मॉडल, प्रयुक्त तकनोलजी, स्थापना, पावर सप्लाई और जगह की आवश्यकता, आर पी एम, मोटर एच पी, उपसाधनों की सूची, साइज़ / विमा और इसकी विशेषताएँ

ख) वारंटी अवधि, ए एम सी चार्ज, भुगतान की शर्तें, निविदा की विधिमान्यता, सुपुर्दगी का समय, निकटस्थ सेवा-केंद्र संबंधी विवरण और संपर्क विवरण सहित उपभोक्ताओं की सूची।

ग) विनिर्देश सहित अनुपालन विवरण

*" आई आई पी एम में पलवराइज़र की स्थापना केलिए कोटेशन "* उपरिलिखित मुहरबंद निविदाएँ निम्नलिखित पते पर बोर्ड के कोच्ची स्थित कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए :

" श्री पी.एम.सुरेषकुमार, निदेशक(विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, पालारिवट्टम पी.ओ., कोच्ची-682025, केरल"

बोर्ड के कोच्ची स्थित कार्यालय में मुहरबंद निविदाओं के प्राप्त होने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2017 सायं 5.00 बजे तक है। नियत तारीख के बाद प्राप्त निविदाओं का निरसन किया जाएगा। कोट किए आपूर्तिकर्त्ताओं की उपस्थिति में मुहरबंद निविदाएँ 21 फरवरी 2017 को सुबह 10 बजे खोली जाएंगी।

स्पष्टीकरण यदि कोई हो,तो sbdm@indianspices.com पते पर कृपया मेइल भेज दें।

मशीन की सन्तोषजनक स्थापना के बाद पर्चियों की प्रस्तुति और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जांच और सिफ़ारिश के आधार पर भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। निविदाओं को कोई कारण बताए बिना रद्द करने या निरस्त करने का अधिकार बोर्ड को है। स्पाइसेस बोर्ड को किसी भी निविदा को स्वीकारने के पहले उसके बारे में बातचीत करने या स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है।

निदेशक (विपणन)